पानीपत एच. एस. ई. बी. कर्मचारी सह-ओ. पी. पी. घर का निर्माण

285

सोसायटी लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (सूर्यकांत, जे.)

सूर्यकांत और सुदीप अहलूवालिया से पहले**,** जे**.** जे**.**

पानीपत एच**.** एस**.** ई**.** बी**.** कर्मचारी सहकारी गृह निर्माण सोसायटी लिमिटेड।— याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य प्रतिवादी 2015 का

सी. डब्ल्यू. पी. No.16597

19 जनवरी, 2017

भारत का संविधान**, 1950-**कला।**226** और **227-**भूमि अधिग्रहण अधिनियम**, 1894-**धारा **6-**कंपनी अधिनियम**, 1956-**ब्याज-विलंबित धनवापसी-लाइसेंस के लिए अनुरोध-आवासीय कॉलोनी को अस्वीकार कर दिया गया-**7** साल के बाद आवश्यक शुल्क वापस कर दिया गया-जांच शुल्क में कटौती-ब्याज देने का निर्देश-जांच शुल्क गैर-वापसी योग्य माना गया।

ऐसा माना जाता है कि ब्याज के पुरस्कार को नियंत्रित करने का मूल सिद्धांत इस नीति पर आधारित है कि जब किसी व्यक्ति को भुगतान की जाने वाली राशि दूसरे के हाथों में रहती है और बाद वाला पहले वाले की कीमत पर इसका उपयोग करना जारी रखता है, तो बाद वाले को पहले वाले को माने गए नुकसान की भरपाई करनी चाहिए।ठीक यही बात उन मामलों में हुई है जहां याचिकाकर्ताओं को अपने लाइसेंस आवेदनों के लिए एक या दूसरे शुल्क जमा करने के लिए कहा गया था जो उन्हें नहीं दिए जा सके थे।हालाँकि, इस तरह की राशि को जल्द से जल्द और बिना किसी देरी के वापस नहीं करने का कोई औचित्य नहीं था।

(पैरा 11)

आगे कहा कि जहां तक 'जांच शुल्क' का संबंध है, राज्य की याचिका में तथ्य है कि वह वापसी योग्य नहीं था।कि 'जांच शुल्क' और कुछ नहीं बल्कि लाइसेंस देने के लिए आवेदन को संसाधित करने में विभाग द्वारा किए गए प्रशासनिक शुल्कों की प्रतिपूर्ति है।यह याचिकाकर्ताओं का मामला नहीं है कि उनके आवेदन योग्यता की जांच किए बिना सीमा पर वापस कर दिए गए थे।चूंकि समय और ऊर्जा दोनों के लिए आवश्यक समर्पण के गुणों के आधार पर आवेदनों का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया, विभाग अपने द्वारा किए गए मानित लागतों के लिए 'जांच शुल्क' के साथ खुद को क्षतिपूर्ति करने का हकदार है।'जांच शुल्क' का अधिरोपण 'क्विड प्रो क्वो' के सिद्धांत के समान है।

(पैरा 12)

जगबीर मलिक, अधिवक्ता

अमन चौधरी, अधिवक्ता

याचिकाकर्ताओं के लिए

दीपक बालियान, एडिशनल।ए. जी. हरियाणा

सूर्या कान्त**,** जे**.** ओरल

(1) यह आदेश उपरोक्त शीर्षक वाले रिट 286 का निपटारा करेगा।

दोनों मामलों में उठाए गए मुद्दे के रूप में याचिकाएं प्रकृति में समान हैं।तथ्यों के लिए, 2015 के सी. डब्ल्यू. पी. No.16597 को प्रमुख मामले के रूप में माना जा रहा है।

(2) याचिकाकर्ता एक सहकारी गृह निर्माण सोसायटी है जिसका गठन पूर्ववर्ती हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड के कर्मचारियों द्वारा किया गया था जिसे अब "उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड" के नाम से जाना जाता है।सोसायटी ने एक आवासीय कॉलोनी स्थापित करने के लिए पानीपत शहर की नगरपालिका सीमा के भीतर पट्टी इंसार और पट्टी मखदूम गांव की राजस्व संपदा में 8.13 एकड़ जमीन खरीदी।याचिकाकर्ता-सोसायटी की भूमि का अधिग्रहण राज्य सरकार द्वारा 22.02.1990 पर किया गया था।अधिग्रहण को सोसायटी द्वारा सफलतापूर्वक चुनौती दी गई थी और इसे इस अदालत द्वारा 26.03.2003 पर रद्द कर दिया गया था।

(3) इसके बाद याचिकाकर्ता-सोसायटी ने 01.12.2006 पर लाइसेंस देने के लिए आवेदन किया और आवश्यक शुल्क जमा किया।याचिकाकर्ता-सोसायटी को फिर से Rs.26,02,000/- की राशि जमा करने के लिए कहा गया जो अप्रैल, 2007 में जमा की गई थी।इस तरह, सोसायटी ने कुल Rs.37,44,021/- जमा किया।

(4) याचिकाकर्ता-सोसायटी के आवासीय कॉलोनी विकसित करने का लाइसेंस देने के अनुरोध को राज्य सरकार ने 26.09.2008 (P6) के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया था।हालाँकि, राज्य सरकार ने Rs.34,08,420/- की राशि 7 साल बाद 17.07.2015 पर वापस कर दी।जांच शुल्क के लिए रुपये 3,35,601-की राशि काट ली गई है।

(5) याचिकाकर्ता-सोसायटी प्रतिवादी द्वारा काटे गए 'जांच शुल्क' के साथ-साथ विलंबित धनवापसी पर ब्याज की वापसी की मांग करती है।(6) संबंधित मामले में अर्थात 2015 के सी. डब्ल्यू. पी. No.16002 में, याचिकाकर्ता कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित कंपनी है।याचिकाकर्ता-कंपनी के पास करनाल शहर की राजस्व संपदा के भीतर 66 बीघा 3 बिसवा की भूमि थी।इसने समूह आवास कॉलोनी स्थापित करने के लिए 16 एकड़ भूमि के संबंध में लाइसेंस देने के लिए 24.07.2006 पर आवेदन किया।याचिकाकर्ता को अलग-अलग तारीखों पर कुछ राशि जमा करने के लिए कहा गया था और इस तरह उसने कुल रु. 1,36,62,527/- जमा किए।

(7) याचिकाकर्ता की भूमि का एक हिस्सा जिसके लिए उसने समूह आवास सोसायटी स्थापित करने के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन किया था, हरियाणा राज्य द्वारा भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की खंड 6 अधिसूचना दिनाक 11.09.12 के तहत जारी अधिसूचना के माध्यम से अधिग्रहित किया गया था।इसके बाद याचिकाकर्ता को 06.05.2014 पर जांच शुल्क काटने के बाद रु. 1,17,43,442/- की राशि वापस कर दी गई।

(8) इस तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में याचिकाकर्ता जांच शुल्क की वापसी के साथ-साथ लाइसेंस देने के लिए उनके द्वारा जमा की गई राशि के विलंबित वापसी पर ब्याज की मांग करते हैं।

(9) हमने पक्षों के द्वारा विद्वान अधिवक्ता को सुना है और रिकॉर्ड का अध्ययन किया है।

(10) प्रतिवादी ने अपने लिखित बयानों में मुख्य रूप से यह उचित ठहराया है कि लाइसेंस देने के लिए याचिकाकर्ताओं के आवेदनों को क्यों अस्वीकार/वापस कर दिया गया था।दूसरे मामले में, राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित भूमि के हिस्से के रूप में लाइसेंस नहीं दिया जा सका।हालाँकि, इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि किस बात ने अधिकारियों को उस राशि को तुरंत वापस करने से रोका जो याचिकाकर्ताओं को जमा करने के लिए कहा गया था, जब पहले मामले में याचिकाकर्ता का लाइसेंस देने का दावा खारिज कर दिया गया था या जब दूसरे मामले में याचिकाकर्ता को उसकी भूमि के अधिग्रहण के कारण लाइसेंस देना संभव नहीं था।

(11) ब्याज के पुरस्कार को नियंत्रित करने के लिए मुख्य सिद्धांत इस नीति पर आधारित है कि जब किसी व्यक्ति को भुगतान की जाने वाली राशि दूसरे के हाथों में रहती है और बाद वाला पहले वाले की कीमत पर इसका उपयोग करना जारी रखता है, तो बाद वाले को पहले वाले को मानित नुकसान की भरपाई करनी चाहिए।ठीक यही बात उन मामलों में हुई है जहां याचिकाकर्ताओं को अपने लाइसेंस आवेदनों के लिए एक या दूसरे शुल्क जमा करने के लिए कहा गया था जो उन्हें नहीं दिए जा सके थे।हालाँकि, इस तरह की राशि को जल्द से जल्द और बिना किसी देरी के वापस नहीं करने का कोई औचित्य नहीं था।

(12) जहाँ तक 'जांच शुल्क' का संबंध है, राज्य की दलील में तथ्य है कि वह वापसी योग्य नहीं था।कि 'जांच शुल्क' और कुछ नहीं बल्कि लाइसेंस देने के लिए

आवेदन को संसाधित करने में विभाग द्वारा किए गए प्रशासनिक शुल्कों की प्रतिपूर्ति है। यह याचिकाकर्ताओं का मामला नहीं है कि उनके आवेदन योग्यता की जांच किए बिना

सीमा पर वापस कर दिए गए थे।चूंकि समय और ऊर्जा दोनों के लिए आवश्यक समर्पण के गुणों के आधार पर आवेदनों का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया, विभाग अपने द्वारा किए गए मानित लागतों के लिए 'जांच शुल्क' के साथ खुद को क्षतिपूर्ति करने का हकदार है।'जांच शुल्क' का अधिरोपण 'क्विड प्रो क्वो' के सिद्धांत के समान है।

(13) पूर्व में बताए गए कारणों से, रिट याचिकाओं को आंशिक रूप से अनुमति दी जाती है और यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि हालांकि याचिकाकर्ता 'जांच शुल्क' की वापसी के हकदार नहीं हैं, लेकिन वे निश्चित रूप से उस अवधि के लिए ब्याज के साथ उचित रूप से क्षतिपूर्ति के हकदार हैं जिसके दौरान 288 द्वारा जमा की गई राशि प्रतिवादी द्वारा उन्हें अनुचित रूप से रोक दिया गया था।पहले मामले में, राशि जुलाई, 2007 तक जमा की गई थी, जबकि इसे 17.07.2015 पर वापस कर दिया गया था।प्रसंस्करण और वास्तविक धनवापसी के लिए तीन महीने से अधिक का समय नहीं हो सकता है।नतीजतन, पहले मामले में याचिकाकर्ता को डब्ल्यू. ई. एफ. 01.08.2007 से 17.07.2015 तक ब्याज का हकदार माना जाता है।ब्याज का भुगतान 8 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से किया जाएगा।

(14) इसी तरह, दूसरे मामले में याचिकाकर्ता को उसी दर पर ब्याज का हकदार माना जाता है जो 01.02.2009 से 06.05.2014 तक है।

(15) इस आदेश की प्रमाणित प्रति की प्राप्ति की तारीख से तीन महीने के भीतर याचिकाकर्ताओं को अवशिष्ट ब्याज का भुगतान किया जाएगा।

शुभरीत कौर

अस्वीकरण स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा से इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा

सुनीता रानी